

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 3872/2005

इंडिया ईमेज ई-145, 146 सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर एक पंजीकृत साझेदारी फर्म अपने पी, के-4, केशव सी स्कीम, जयपुर के माध्यम से

----याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, उद्योग विभाग के सचिव, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से
- जिला उद्योग केंद्र, जयपुर महाप्रबंधक, उद्योग निदेशालय, राजस्थान सरकार, उद्योग के माध्यम से भवन, जयपुर
- उपखंड अधिकारी, जयपुर द्वितीय कलेक्ट्रेट, जयपुर

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए : श्री जय शर्मा

प्रतिवादी (ओं) के लिए : श्री देवेश शर्मा, डिप्टी जीसी

माननीय श्रीमान. जस्टिस अवनीश झिंगन

निर्णय

**18/09/2024**

1. यह याचिका महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, जयपुर (जिन्हें आगे "महाप्रबंधक" कहा जाएगा) द्वारा दिनांक 07.08.2003 को जारी किए गए पत्र को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है, जिसमें 10,83,400/- रुपये की सब्सिडी राशि (जो अनुबंध 7 में गलती से 10,03,400 रुपये टाइप की गई है) जमा करने का निर्देश दिया गया था। भू-राजस्व अधिनियम में वसूली नोटिस को भी चुनौती दी गई है।

2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने रेडीमेड गारमेंट्स के निर्माण के लिए लघु उद्योग की एक इकाई स्थापित की। इकाई जिला उद्योग केंद्र, जयपुर में पंजीकृत थी। इकाई की स्थापना शुरू में केशव पथ, सी स्कीम, जयपुर में की गई थी। बाद में, याचिकाकर्ता ने सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर में एक भूखंड खरीदा और एक कारखाना स्थापित किया। 19.01.1997 को, याचिकाकर्ता ने नए उद्योगों के लिए राज्य पूंजी सब्सिडी योजना 1990 (इसके बाद 'योजना' के रूप में संदर्भित) के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी के लिए आवेदन किया। याचिकाकर्ता को 29.09.1997 को आयोजित जिला स्तरीय समिति की बैठक में 10,83,400 / - रुपये की राशि मंजूर की गई और सब्सिडी वितरित की गई। याचिकाकर्ता को महाप्रबंधक से 11.03.1999 का पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि लेखा परीक्षकों के अनुसार याचिकाकर्ता को सब्सिडी का भुगतान गलत तरीके से किया गया था ऑडिट की आपत्ति यह थी कि सब्सिडी केवल मौजूदा कारखाने को ही दी जा सकती थी, जबकि याचिकाकर्ता ने कारखाना सी स्कीम से सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित

कर दिया है। याचिकाकर्ता ने जवाब में कहा कि 80,000 रुपये मूल्य की पुरानी मशीनरी को नए कारखाने के परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया था और याचिकाकर्ता ने नई मशीनरी में 52,00,000 रुपये का निवेश किया था। मामला यह था कि योजना के खंड (iv ) ( c ) (3) का नोट ( i ) वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता।

3. लगभग तीन वर्षों के बाद, याचिकाकर्ता को दिनांक 07.08.2003 का एक पत्र भेजा गया जिसमें निर्देश दिया गया कि लेखा परीक्षकों के अनुसार सब्सिडी राशि वसूली योग्य है और इसे तीन महीने के भीतर जमा किया जाए और ऐसा न करने पर भू-राजस्व अधिनियम के तहत वसूली की कार्यवाही शुरू की जाए। भू-राजस्व के तहत वसूली हेतु दिनांक 25.04.2005 का नोटिस जारी किया गया था , इसलिए वर्तमान याचिका प्रस्तुत की गई है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वसूली की कार्यवाही केवल लेखापरीक्षा आपत्ति के आधार पर शुरू की गई है। सब्सिडी वापस लेने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

5. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सूचना जारी करने से पूर्व कारण बताओ नोटिस दिया गया था और योजना के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए गलत तरीके से सब्सिडी प्रदान की गई थी।

6. सब्सिडी राशि की वसूली के लिए याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और इसका एकमात्र आधार लेखापरीक्षा आपत्ति थी। याचिकाकर्ता ने कारण बताओ नोटिस का उत्तर देते हुए तथ्यात्मक जानकारी दी और बताया कि सब्सिडी योजना के अनुसार प्रदान की गई थी। प्रतिवादियों द्वारा न तो याचिकाकर्ता के उत्तर पर विचार किया गया और न ही सब्सिडी वापस लेने का आदेश पारित किया गया।

7. दिनांक 07.08.2003 के पत्र में याचिकाकर्ता को तीन दिनों के भीतर सब्सिडी राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था, अन्यथा भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत वसूली की जाएगी। दिनांक 07.08.2003 के पत्र में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि वसूली इस कारण से की जा रही है कि लेखा परीक्षकों के अनुसार, सब्सिडी प्रदान नहीं की जा सकती थी।

9. यह स्थापित कानून है कि एक अर्ध-न्यायिक अधिकारी को एक तर्कसंगत आदेश पारित करना होता है। इस मामले में, महाप्रबंधक द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के अनुसरण में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है और सीधे वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

10. दिनांक 25.04.2005 को भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत वसूली कार्यवाही हेतु आरंभ किया गया विवादित नोटिस निरस्त किया जाता है और मामला महाप्रबंधक को दिनांक 07.08.2003 के कारण बताओ नोटिस के अनुसरण में विधि अनुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है। आगे की देरी से बचने के लिए, याचिकाकर्ता को अपने प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 17.10.2024 को रात्रि 11 बजे महाप्रबंधक कार्यालय में उपस्थित होने की अनुमति दी जाए।

11. रिट याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(अवनीश झिंगन) ,जे

चंदन /17

क्या रिपोर्ट योग्य है: हाँ

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी